रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936
No. 161] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015/PHALGUNA 29, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015

सा.का.नि. 212(अ).—केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1989 की धारा 110 की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 365(अ) तारीख 28 मई, 2014 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रारुप नियम प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थीं, जनता को 28 मई, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारुप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 27, धारा 41, धारा 50, धारा 56, और उपधारा 64, धारा 88 की उपधारा 14 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा विशिष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, ये 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(अ) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(गक) "**संयुक्त हारवेस्टर**" से निम्नलिखित कार्यों में से एक अधिक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई कोई मशीन अभिप्रेत है, (जो स्वतःनोदित या कृषि ट्रैक्टर, जो मुख्य संयुक्तों के लिए या मशीन के किसी अन्य संलग्नकों के लिए ट्रेलर से) या तो युग्मित या शक्तिशाली कृषि ट्रैक्टर ;

(i) छेदना, फसल काटना, गाहना, पृथक्करण करना, साफ करना, चीरना, संग्रहण करना और फसल या कृषि उत्पाद की उतराई जैसे अनाज, गन्ना, सूत चारा (पुआल या डंटल) जब खड़ी फसल या कृषि उत्पाद से होकर चलाया जा रहा है;

(ii) फसल, जो बांधी गई है, की हथलाई के लिए, इसके प्रयोग में पिकअप संलग्नक के साथ थैले का प्रबंध;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए उस सड़क पर जो क्षेत्रों में और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लघु अवधि के लिए तीस किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति पर मुख्य रुप से आशयित उपयोग के लिए अनुषंगी है, पर चालन के लिए संयुक्त हारवेस्टर गैर परिवहन मोटर यान होगा ।

(आ) विद्यमान खंड (गक) को खंड (गकख) के रुप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(इ) खंड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(भ)' "मॉड्यूलर द्रव्यचालित ट्रैलर" से अविभाज्य भारी और अधिक लंबाई चौड़ाई वाले नौभार को खींचने के लिए आशयित और निम्नलिखित विशेषताओं वाला कोई ट्रैलर अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) द्रवचालित सस्पेंशन सहित दोलन धुरियां;

(ii) स्वतंत्र रूप से परिचालनीय धुरियां;

(iii) दो या अधिक धुरी पंक्तियां;

(iv) ऐसे माड्यूलों को लंबा या तिरछा या दोनों प्रकार से जोड़ने का यथोचित विन्यास;

(v) ऐसे प्रथक्त मॉडयूलों को अंतरक बीम विन्यास के साथ या शहतीर विन्यास द्वारा या ग्रिडर ब्रिज विन्यास द्वारा जोड़ने की यथोचित व्यवस्था;

(vi) खींचे जाने या धकेले जाने के लिए उपयुक्त अगला विन्यास ।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए पद,—

(I) "अंतरक बीम विन्यास" अभिव्यक्ति का अभिप्राय लंबे स्थौरा को चलाने के लिए एकल कठोर चेसिस बनाने के लिए दो पृथक्त मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रैलर की दो पृथक्त इकाइयों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कठोर इस्पात चौखटे का विन्यास होगा ।

(II) "शहतीर विन्यास" अभिव्यक्ति का अभिप्राय घूमचक्कर पर आरुढ़ मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रैलर की दो पृथक्त इकाइयों का विन्यास और नौभार का घूमचक्कर पर टिका होना होगा जिसके द्वारा इस्पात गाटर ट्रैलर चेसिस के लंबे भाग के रूप में कार्य करता है ।

(III) "ग्रिडर ब्रिज विन्यास" अभिव्यक्ति का अभिप्राय घूमचक्कर के साथ आरुढ़ मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रैलर की दो पृथक्त इकाइयों का विन्यास और नौभार का किसी इस्पात ग्रिडर पर रखा जाना होगा, जो मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रैलर से आरुढ़ हो, जिसके द्वारा इस्पात ग्रिडर ट्रैलर चेसिस के लंबे भाग के रूप में कार्य करता है।

(IV) "लदाई डेक विन्यास" से घूमचक्कर के साथ में आरुढ़ माडयूलर द्रव चालित ट्रैक्टरों की पृथक इकाइयों की विन्यास अभिप्रेत है और स्थौरा लदाई डेक पर स्थापित है जो दोनों मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रैलरों पर आरुढ़ होता है जिसके द्वारा इस्पात ग्रिडर ट्रैलर चेसिज के दीर्घ संघटक के रुप में कार्यकर्ता है।

(vii) उपयुक्त ब्रेक प्रणाली के साथ फिट किया गया।

(म) "खींचने वाला ट्रैक्टर" से प्रवर्ग एन3 का ऐसा बहु धुरी ट्रैक्टर अभिप्रेत है जो —

(i) मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रैलर या उसके संयोजन के अर्गला विन्यास को नीचे से खींचने या धकेलने के लिए यथोचित विन्यास वाला हो;

(ii) कर्षण देने के लिए यथोचित स्थिर भार वाला हो;

(iii) न्यूनतम 260 एच पी (अश्व शक्ति) की शक्ति रखता हो; और

(iv) भार खींचते समय पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा से अनधिक अधिकतम गति वाला हो।'

3. मूल नियमों के नियम 47 में,—

(क) उप नियम (1) में खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ठ) ऐसे तकनीकी विनिर्देश और अन्य दस्तावेज जिनकी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रैलर की बाबत अपेक्षा करे";

(ख) उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(3) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रैलर लदी हुई स्थिति में लोक स्थान में ऐसी शर्तों के अध्यधीन चलेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राजपत्र में विहित करें।

4. मूल नियमों के नियम 50 में,—

(क) "(i) उपनियम (1) के खंड (vi) में और पंरतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि संयुक्त हारवेस्टर के लिए रजिस्ट्रीकरण प्लेट का आकार 340 मिमी. × 200 मिमी. होगा और इसे अग्र भाग और संयुक्त हारवेस्टर के रियर पर दर्शित किया जाएगा और परिवहन के दौरान उपयोग की गई हैडर संयोजन के लिए ट्रेलर के पश्च पर होगा।"

(ii) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रैलर के रजिस्ट्रीकरण चिह्न को खींचने वाले ट्रैक्टर पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।"।

5. मूल नियमों के नियम 51 की सारणी में, क्रमसंख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"10	संयुक्त हारवेस्टर	अग्र और पश्च अक्षर और अंक	65	10	10
11	संयुक्त हारवेस्टर के शीर्ष समुच्चय के लिए ट्रेलर	पश्च अक्षर और अंक	65	10	10।"।

6. उक्त नियमों के नियम 88 में,—

(क) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) किसी खीचने वाले ट्रैक्टर को, जो किसी समय बिन्दु पर पंद्रह वर्ष से अधिक पुराना है, राष्ट्रीय परमिट अनुदत्त नहीं की जाएगी :

परंतु विनिर्माता द्वारा या भारत में विनिर्माता के प्रचालित न होने की दशा में चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा अनुदत्त फिटनेस प्रमाण-पत्र के अध्यधीन राष्ट्रीय परमिट पांच वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी";

(ख) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4क) किसी मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर के संबंध में कोई राष्ट्रीय परमिट अनुदत्त नहीं की जाएगी, जो किसी समय बिन्दु पर पच्चीस वर्ष से अधिक पुराना है, पच्चीस वर्ष की अवधि उक्त ट्रेलर के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से संगणित की जाएगी :

परंतु विनिर्माता द्वारा या भारत में विनिर्माता के प्रचालित न होने की दशा में चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा अनुदत्त फिटनेस प्रमाण-पत्र के अध्यधीन राष्ट्रीय परमिट पांच वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी:

परंतु यह और कि इस शर्त के अधीन रहते हुए कि प्रत्येक व्यष्टिक मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर के पास विधिमान्य राष्ट्रीय परमिट है, मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलरों के संयोजन को ध्यान में न रखते हुए भारत में राष्ट्रीय परमिट विधिमान्य होगी।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजन के लिए "राष्ट्रीय परमिट" से भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में इस धारा के अधीन मोटरयान चलाने के लिए जारी परमिट अभिप्रेत है।"

7. मूल नियमों के नियम 90 में,—

(क) "यान" शब्द के स्थान पर "ट्रेलर या मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर से भिन्न सभी मोटरयान" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में "ऐसे यान" शब्दों के स्थान पर "ट्रेलर या मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर से भिन्न ऐसे यान जिसके लिए यान के दोनों ओर वही सम्मिलित होगा" शब्द रखे जाएंगे;

8. मूल नियमों के नियम 93 में,—

(क) उपनियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1ख) अंतिम बिंदुओं से संलग्न अभिलंब समतों के बीच संयुक्त हारवेस्टर की धूरि के दाहिनें कोण पर संयुक्त हारवेस्टर का मापा गया सकल विस्तार 3.3 मीटर से अधिक नहीं होगा, जब वह चलती रीति में हो, और ऐसे संयुक्त हारवेस्टरों को पीली और काली जेब्रा पट्टियों द्वारा विस्तार के भाग पर पेंट किया जाएगा जो रात्रि के समय चालन के लिए अग्र और पश्च ओर सम्यक् रुप से 2.6 मीटर से अनधिक होगा और पार्किंग उपयुक्त रुप से अग्र और पश्च में लाल लैंप से युक्त होगी :

परंतु जेब्रा पट्टियों का संलग्नकों पर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि कोई है।

"(1ग) अंतिम बिंदुओं को घेरते हुए अवलंब तलों के बीच ट्रेलर के अक्ष से दायें कोण पर मापी गई मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर की कुल चौड़ाई 3 मीटर से अधिक नहीं होगी।";

(ख) उपनियम (2) में खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vक) तीन या अधिक धुरियों वाले खींचने वाले ट्रैक्टर की दशा में 10 मीटर ;";

"(vख) मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर, कोई एकल माडल जिसकी अधिकतम 8 धुरि पंक्तिबद्ध है, की दशा में 19 मीटर से अधिक नहीं होगी;";

(ग) उपनियम (3क) में,—

(क) "निर्माण उपकरण वाहन की कुल लंबाई" शब्दों के स्थान पर "निर्माण उपकरण वाहन और संयुक्त हारवेस्टर की कुल लंबाई" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि हारवेस्टिंग गन्ने के लिए अनन्य रुप से प्रयुक्त संयुक्त हारवेस्टर की दशा में, यात्रा में कुल लंबाई 15 मीटर से अधिक नहीं होगी।";

(घ) उपनियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3ख) खींचने वाले ट्रैक्टर और मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर संयोजन की कुल लंबाई 29 मीटर से अधिक नहीं होगी :

परंतु आठ धुरी पंक्तियों से अधिक वृहत्तर संयोजनों के कर संचलन संबद्ध प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगा";

(ङ) उपनियम 4 में खंड (ii क)के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiख) मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर या ऐसे मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलरों के संयोजन के मामले में 4.75 मीटर से अधिक नहीं होगी;";

(च) उपनियम (4क) में,—

(क) "निर्माण उपकरण वाहन" शब्दों के पश्चात् "या कोई संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, "निर्माण उपकरण वाहन" शब्दों के पश्चात् "या कोई संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(छ) उपनियम (5) में ट्रैक्टर" शब्द के पश्चात् "या खींचने वाला ट्रैक्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ज) उपनियम (6) में "ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण वाहन" शब्दों के स्थान पर "ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण वाहन और संयुक्त् हारवेस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(झ) उपनियम (6क) में "निर्माण उपकरण वाहन" शब्दों के पश्चात् "या संयुक्त् हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ञ) उपनियम (6क) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु हारवेस्टिंग गन्ने के लिए अनन्य रुप से संयुक्त हारवेस्टर की दशा में ओवरहैंग जब चलती हालत में हो तो रियर में 8.5 मीटर से अधिक नहीं होगा।";

(ख) स्पष्टीकरण में "निर्माण उपकरण वाहन" शब्दों के पश्चात् या "या संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ट) उपनियम (7क) में, "निर्माण उपस्कर वाहन" शब्दों के पश्चात् "या संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. मूल नियमों के नियम 94 के उपनियम (1) में, –

(क) उपनियम (1), में "कृषि ट्रैक्टर व इसके ट्रेलर" शब्दों के पश्चात् "या सयुंक्त हारवेस्टर और मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में, "कृषि ट्रैक्टर व इसके ट्रेलर" शब्दों के पश्चात् "और सयुंक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. मूल नियमों के नियम 95 के उपनियम (2क) में "निर्माण उपस्कर यान" शब्दों के पश्चात् "या सयुंक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(11) मूल नियमों के नियम 95ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"95.ग मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर के टायरों का आकार और प्लाइ - (1) रेटिंग मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलरों पर उपयोग किए गए रेडियल टायर सहित टायर समय समय पर यथासंशोधित आई एस 15636: 2005 के अनुसार होंगे।

(2) मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलरों की भार ले जाने की क्षमता टायर विनिर्माता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होगी, तथापि, मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम भार टायर विनिर्माता द्वारा अनुज्ञात भार से अधिक नहीं होगा।

(3) मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर विनिर्माता, टायर विनिर्माता द्वारा सुझाए गए यथा अनुसंशित या अधिमानतः रिम आकारों का ही अनुरुप आई एस 9438:1980 करेगा।

टिप्पण : इस नियम के अनुपालन के लिए, कोई समतुल्य राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानक जैसे इंडियन स्टैण्डर्ड (आईएस), आटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैण्डर्ड (एआईएस), ईसीई (इकोनोमिक कमीशन ऑफ यूरोप), जापान आटोमोबाइल टायर मेन्यूफेक्चर एसोसिएशन (जेएटीएमए), यूरोपियन टायर एंड रिम टेक्नीकल ऑर्गनाइजेशन (ईटीआरटीओ), दि टायर एंड रिम एसोसिएशन इंक. (टीएंडआरए), इंडियन टायर टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी (आईटीटीएसी), आदि को निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

12. मूल नियमों के नियम 96 के, उपनियम (8) की सारणी के अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं.	यान का प्रकार	भार	परीक्षण गति (वह गति जिस पर ब्रेक लगाया जाना चाहिए) (कि.मी. प्रति घंटा)	ब्रेक का प्रकार	रुकने की दूरी (मी.)
"6.	खीचने वाला ट्रेक्टर	जीवीडब्ल्यू	20	पाद प्रचालित सेवा ।	13।"।

13. मूल नियमों के नियम 96घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**96ड. संयुक्त हारवेस्टर के लिए ब्रेक** -- (1) ब्रेक परीक्षण अच्छी दशा में शुष्क् स्तर की सड़क पर क्लच के प्रयोगरहित अग्र दिशा में संचालित किया जाएगा और संयुक्त हारवेस्टर की रील से संलग्न हैडर समुच्चय के साथ कर्तन बार ट्रेलर होगा"

(2) उतरे भार वाले संयुक्त हारवेस्टर की सेवा ब्रेकिंग प्रणाली जब नीचे दी गई सारणी में यथाउल्लिखित मानक परीक्षण गति पर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है तो यथा विनिर्दिष्ट ठहराव दूरी के भीतर रुकने के लिए यान को समर्थ बनाने के लिए होगी :

सारणी

क्रम सं.	समुच्चय का प्रकार	भार (अनलोडर)	परीक्षण गति	ठहराव दूरी
1	स्वःनोदित संयुक्त हारवेस्टर	---	20 किमी./घंटा या अधिकतम गति चाहे कम हो	10 मीटर
2	संयुक्त हारवेस्टर की शक्ति से हारवेस्टर	---	24 किमी./घंटा या अधिकतम गति चाहे कम हो	10 मीटर

अधिकतम पैडल बल 600एन से अधिक नहीं होना चाहिए।"।

14. मूल नियमों के नियम 97 के उपनियम (1) में "प्रत्येक ट्रेलर" शब्दों के स्थान पर "मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर सहित प्रत्येक ट्रेलर" शब्द रखे जाएंगे।

15. मूल नियमों के नियम 98ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**98घ. संयुक्त हारवेस्टर के लिए स्टीयरिंग गियर्स** - (1) हेडर असेंबली के लिए ट्रेलर से युग्मित संयुक्त हारवेस्टर का मोड निकासी चक्र व्यास, ब्रेक दशा के बिना यदि कोई है, जब समय-समय पर यथासंशोधित आईएस : 11859-2004 के अनुसार मापा जाए, 20 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(2) संयुक्त हारवेस्टर के लिए स्टीयरिंग प्रयास अपेक्षा समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस:042-2004 के अनुरुप ऐसे समय तक होगी जब तक तत्स्थानी बीआईएस मानक अधिसूचित नहीं हो जाते।

16. मूल नियमों के नियम 99 में, "संनिर्माण उपस्कर यान एवं कृषि ट्रैक्टर" शब्दों के स्थान पर "संनिर्माण उपस्कर यान, कृषि ट्रैक्टर और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द रखे जाएंगे।

17. मूल नियमों के नियम 100 में, उपनियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3ख) विनिर्मित संयुक्त हारवेस्टर का अग्र विंडव्रीन का शीशा लैमिनेटिड सेफ्टीग्लास द्वारा विनिर्मित होंगे।"।

18. मूल नियमों के नियम 101 के, उपनियम (2क) में "सभी निर्माण उपस्कर वाहन" शब्दों के स्थान पर "सभी निर्माण उपस्कर वाहन और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द रखे जाएंगे ।

19. मूल नियमों के नियम 102 में :—

(क) उपनियम (1) में, "संनिर्माण उपस्कर यान और निर्माण उपस्कर यान" शब्द जहां जहां वे आते हैं, के पश्चात् व्रमशः "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"(4) मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर की दशा में,—

(i) ठहरने के लिए आशय को दो वैद्युत ठहराव लैंपों द्वारा उपदर्शित किया जाएगा जिनका रंग लाल होगा और यान के रेयर पर प्रत्येक बाईं और दाईं ओर फिट किया जाएगा ;

(ii) ठहराव लैंप खींचने वाले ट्रैक्टर के सर्विस ब्रेक नियंत्रण के प्रेरण पर दीप्तिमान किया जाएगा ;

(iii) कम से कम अंबर रंग के दो निदेश उपदर्शन फिट किए जाएंगे जिसे प्रकाश द्वारा बारी के लिए आशय उपदर्शित करने के लिए प्रदीप्तमान किया जाएगा और प्रत्येक उपदर्शन का न्यूनतम प्रदीप्तमान क्षेत्र 60 वर्ग मीटर होगा ।

20. मूल नियमों के नियम 103 में उपनियम (1) और उपनियम (2) में "निर्माण उपस्कर यान" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

21(क) मूल नियमों के नियम 104क में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"104क. सनिर्माण उपस्कर यान और संयुक्त हारवेस्टरों पर परावर्तकों का फिटमेंट – सभी संनिर्माण उपस्कर यान और समुच्चय के साथ रखे जाएंगे ।

(ख) खंड (i)के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु संयुक्त हारवेस्टर की दशा में, अग्र से अवरोध रहित दृष्टि के मामले में श्वेत परावर्तक प्रतिबिंब तल के ऊपर 2100 मि.मी. से अधिक नहीं होगा और व्रियान्वयन या युक्ति आने वाले वाहनों को अग्र परावर्तक प्रतिबिंब की दृश्मानता पर अवरोध नहीं डालेंगे ;";

(ग) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु संयुक्त हारवेस्टर की दशा में धरातल के ऊपर उंचाई 2100 मि.मी. से अधिक नहीं होगी;";

(घ) उपखंड (v) में "संनिर्माण उपस्कर यान" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

22. मूल नियमों के नियम 104ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"104घ. मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर पर **परावर्तकों** का फिटमेंट :—(1) प्रत्येक मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर दो परावर्तक टेपों के साथ फिट होगा जिसकी चौड़ाई रेयर और अग्र पर 50 मि.मी. से कम नहीं होगी तथा एंबर परावर्तक टेप की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी वी आई एस विनिर्देश के अधिसूचित होने तक समय समय पर यथासंशोधित एआईएस 090: 2005 के अनुरूप पक्षों पर 50 मि.मी. से कम चौड़ाई नहीं होगी।

(2) प्रत्येक मॉड्यूलर द्रवचालित ट्रेलर दो लाल परादर्शी परावर्तक के साथ फिट होगा जिसका क्षेत्र 28.5 वर्ग मी. से कम नहीं होगा और प्रत्येक बाईं तरफ तथा पक्षों के दाहिनी ओर रियर और अग्र पर फिट होगा तथा अंबर परावर्ती परावर्तक जिसका क्षेत्र अग्र छोर पर समापन पर 28.5 वर्ग मी. से कम नहीं होगा और दूसरा सेट भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी वी आई एस विनिर्देश के अधिसूचित होने तक समय समय पर यथासंशोधित एआईएस 057 : 2005 के अनुरुप यथासंभव रियर छोर पर बंद होगा।

(3) मॉडलर द्रवचालित ट्रेलर रिथर चिन्ह प्लेट ए आई एस–089 के अनुरुप फिट की जाएगी।"।

23. मूल नियमों के नियम 105 में,—

(क) उपनियम (1) के खंड (घ) में "संनिर्माण उपस्कर यान" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के उपखंड (ii) में, "निर्माण उपकरण और निर्माण उपकरण वाहन" शब्दों के पश्चात्, जहां जहां वे आते हैं "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपनियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3ख) संयुक्त हारवेस्टर के सभी आवश्यक अग्र हैड लैंप यथाशक्ति एक ही शक्ति के होंगे, सभी अनिवार्य हैं और ऐसी उंचाई पर लगे होंगे जिससे कि सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई दें और सामने से आने वाले यातायात के उपकरण या संयोजन का अंतिम सिरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।";

(घ) उपनियम (8क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8ख) प्रत्येक संयुक्त हारवेस्टर पीछे की तरफ प्रकाश में लगे हुए, जब वाहन रिवर्स गियर में चलाया जाता है, पीछे की तरफ दो लैंप लगाए जाएंगे और वहां एक श्रव्य चेतावनी तंत्र और प्रकाश स्वचालित होती हुई होगी जब वाहन रिवर्स गियर में चलाया जाता है श्रव्य चेतावनी तेज और प्रकाश स्वतःचालित होगा जब वाहन रिवर्स गियर में हो।"।

24. मूल नियमों के नियम 106 के उपनियम (1) में "संनिर्माण उपस्कर यान" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

25. मूल नियमों के नियम 108क में ,—

(क) "पार्श्व शीर्षक" के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"108क. **निर्माण उपकरण वाहनों** और **संयुक्त हारवेस्टरों** पर लाल या सफेद प्रकाश का उपयोग।";

(ख) प्रारंभिक भाग में "निर्माण उपस्कर वाहन" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

26. उपनियम 108क के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"108ख. **खींचने वाले ट्रैक्टर** पर संकेत दीप या जलते बुझते लैंप का उपयोग—खींचने वाले ट्रैक्टर में दो संकेत दीप या जलते बुझते लैंप फिट होंगे जो केबिन के शीर्ष में अंबर प्रत्येक रंग के होंगे ।"।

27. मूल नियमों के नियम 109 में,—

(i) "प्रत्येक निर्माण उपस्कर यान और प्रत्येक मोटरयान" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक निर्माण उपस्कर यान, प्रत्येक संयुक्त हारवेस्टर और प्रत्येक मोटर यान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "दूसरे परंतुक में निर्माण उपस्कर यान" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द रखे जाएंगे ।

28. मूल नियमों के नियम 112क के पांचवें परंतुक में "निर्माण उपस्कर यान" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

29. मूल नियमों के नियम 113 में "निर्माण उपस्कर यान" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

30. मूल नियमों के नियम 115क में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"115क. डीजल इंजन से चलने वाले कृषि ट्रेक्टरों, पावर टिलरों, संनिर्माण उपस्कर यानों और संयुक्त हारवेस्टरों से धूम्र और वाष्प का उत्सर्जन ।";

(ख) उपनियम (1) और उपनियम (2) में "कृषि ट्रैक्टर और निर्माण उपस्कर यान" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां जहां वे आते हैं, "कृषि ट्रैक्टर संनिर्माण उपस्कर यान और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (6) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में संनिर्माण उपस्कर यान शब्दों के पश्चात् "और स्वयं नोदित संयुक्त हारवेस्टर इस प्रकार विनिर्मित किए जाएंगे" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उक्त सारणी के टिप्पण में, संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9. भारत स्टेज III (सीईवी) संनियम केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2015 के प्रारंभ से ही स्वतः नोदित संयुक्त हारवेस्टर पर लागू होंगे।";

(घ) उक्त उपनियम (7) में "कृषि ट्रैक्टर" शब्दों के स्थान पर "कृषि ट्रैक्टर और कृषि ट्रैक्टर प्रचालित "संयुक्त हारवेस्टर" शब्द रखे जाएंगे ।

31. मूल नियमों के नियम 117 के उपनियम (1) के पहले पंरतुक में "कृषि ट्रैक्टर" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

32. मूल नियमों के नियम 119 में,—

(क) उपनियम (1)के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) विनिर्मित प्रत्येक संयुक्त हारवेस्टर एक विद्युत हार्न या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट आईएस : 1884 1993 की अपेक्षाओं के अनुरूप अन्य युक्ति यान के चालक द्वारा प्रयोग के लिए चलाई जाएगी जो यान के पहुंचने या स्थिति की श्रव्य और पर्याप्त चेतावनी देने में समर्थ हो;

"परंतु संयुक्त हारवेस्टर के लिए हार्न संस्थापन अपेक्षा विनिर्देश जो समय-समय पर संशोधित किए जा सके, एआईएस-0115796:2008 के अनुसार होगी ।

(ख) उपनियम (2) में "कृषि ट्रैक्टर सहित मोटर यान" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

33. मूल नियमों के नियम 120 में,—

(क) उपनियम (1) में "कृषि ट्रैक्टर" शब्दों के पश्चात् "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5). संयुक्त हारवेस्टर की दशा में जब ध्वनि स्तर साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति की स्थिति में आई एस 12180 (भाग 1) : 2000 के अनुसार मापा जाता है तो यह पास खड़े व्यक्ति की प्रास्थिति पर शोर स्तर आई ए एस 12180 (भाग 2) : 2000 के अनुसार मापा जाएगा :

परंतु पास खड़े व्यक्ति की प्रास्थिति पर ध्वनि स्तर प्रचालक के कर्ण स्तर पर 98 डीबी (ए) और 88 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगा ।"।

34. मूल नियमों के नियम 121 के उपनियम (1) में "कृषि ट्रैक्टर एवं निर्माण उपस्कर यान" शब्दों के स्थान पर "कृषि ट्रैक्टर निर्माण उपस्कर यान और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

35. मूल नियमों के नियम 122 में,—

(क) उपनियम (1क) में "कृषि ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण यान" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हें, "कृषि ट्रैक्टर निर्माण उपकरण यान और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1ख) विनिर्मित प्रत्येक संयुक्त हारवेस्टर पर उत्तकीर्ण या निक्षारित या खुदे हुए विनिर्माण के मास और वर्ष सहित पहचान संख्या प्लेट होगी:

(i) विनिर्माण का नाम
(ii) मॉडल का नाम
(iii) चेजिस नं.
(iv) इंजन/ट्रेक्टर मेक और मॉडल
(v) इंजन क्रम सं. (स्वयं नोदित समुच्चय की दशा में)
(vi) विनिर्माण का मास और वर्ष"।

36. मूल नियमों के नियम 124 में,—

(i) उपनियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1ख) मॉडयूलर द्रव्यचालित ट्रैलर में चालन संरक्षण युक्ति और पार्शिवक संरक्षण युक्ति के अधीन फिटमेंट वर्ष के संबंध में कोई अपेक्षा नहीं होगी ।

(1ग) 'टी' संकेत जब कभी मॉडयूलर चालित ट्रैलरों पर उपयोग किए जाते हों तो वे आईएस : 99 42 : 1981 के अनुपालन में होंगे ।"।

37. मूल नियमों के नियम 124क में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"124क. "**कृषि ट्रैक्टर और संयुक्त हारवेस्टरों** के लिए संघटकों के सुरक्षा मानक";

(ख) उपनियम (1) में, "कृषि ट्रैक्टर" शब्दों के पश्चात् और "संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपनियम (2) में,— "कृषि ट्रैक्टर", और कृषि ट्रैक्टरों शब्दों के पश्चात्, जहां जहां वे आते हैं और "संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि संयुक्त हारवेस्टर की दशा में, यदि बाडी कार्य का आकार और प्रकार संकेत युक्तियों के संस्थापन की ऊंचाई अपेक्षा को पूरा करना असंभव हो तो यह 300 मि.मी. से अनधिक ऊंचाई पर अनुज्ञात किया जाएगा :

(i) डिप बीम हैड लाइन (संदर्भ खंड 6.2.4.2)*

(ii) अग्र दिशा सूचक लैंप (संदर्भ खंड 6.5.4.2)*

(iii) अग्र प्रास्थिति लैंप (संदर्भ खंड 6.9.4.2)*

(iv) अग्र पार्किंग लैंप (संदर्भ खंड 6.12.4.2)*

*टिप्पण—एआईएस -- 030: 2001 का संदर्भ खंड संख्यांक :

परंतु यह भी कि विनिर्मित संयुक्त हारवेस्टर का प्रकाश संकेतन और उपदर्शन प्रणालियां समय समय पर यथासंशोधित सुरक्षा मानक एआईएस : 062 - 2004 के अनुसार ऐसे समय तक तब तक नहीं होगी जब तक कि तत्स्थानी बीआईएस मानक अधिसूचित नहीं हो जाते :

परंतु यह भी कि विनिर्मित संयुक्त हारवेस्टर पर फिट रियर चेतावनी ट्रैंगल समय-समय पर यथासंशोधित उसके उपाबंध 6क के खंड 1.4.3 को छोड़कर एआईएस : 088-2005 के अनुसार ऐसे समय तक तब तक होंगे जब तक तत्स्थानी मानक अधिसूचित नहीं हो जाते ।"

(ङ) मूल नियम (3), (4), (5) और (7) में "कृषि ट्रैक्टर" पश्चात् जहां-जहां वे आते हैं, "और संयुक्त हारवेस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

38. मूल नियमों के नियम 125क में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"125.क सुरक्षा बैल्ट आदि **निर्माण उपस्कर यान और संयुक्त हारवेस्टर** हेतु ।"

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु प्रत्येक संयुक्त हारवेस्टर में चालक के लिए सीट बैल्ट और पीछे के दृश्य के लिए एक दर्पण के साथ सज्जित केबिन फिट होगा ।"

39. मूल नियमों के नियम 126 में, "ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों से भिन्न" शब्दों के स्थान पर "ट्रेलर, अर्ध ट्रेलर और माडुलर द्रवचालित ट्रेलर सहित" शब्द रखे जाएंगे ।

40. मूल नियमों के नियम 126ख में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"126ख. प्रत्येक निर्माण उपकरण वाहन यान और संयुक्त हारवेस्टर का मूल रुप परीक्षण के अध्यधीन होगा";

(ख) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) केंद्रीय मोटर यान (**चौथा** संशोधन) नियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से ही संयुक्त हारवेस्टर का प्रत्येक विनिर्माता स्वयं द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले संयुक्त हारवेस्टर का मूलरूप नियम 126 में निर्दिष्ट अभिकरणों में से किसी के द्वारा अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए उस अभिकरण द्वारा एक प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाने हेतु परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा";

(ग) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में इस बात का सत्यापन करने के लिए कि क्या संयुक्त हारवेस्टर इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या आदेशों के उपबंधों के अनुरुप है, विनिर्माता की उत्पादन रीति से संयुक्त हारवेस्टर पर परीक्षण का संचालन करते हैं :

परंतु इस उपनियम के उपबंध किसी संयुक्त हारवेस्टर की बाबत 1 अप्रैल, 2015 सहित तब तक लागू नहीं होंगे ।"।

[फा. सं. आरटी-11042/13/2008-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 168(अ) तारीख 3 मार्च, 2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2015

G.S.R. 212(E).–Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 365(E), dated the 28th May, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 28th May, 2014;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect on the said draft have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 27,41,50,56 and 64, sub-section (14) of section 88 and section 110 of the said Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2015.

(2) Save as otherwise specifically provided in these rules, they shall come into force with effect from the 1st day of April, 2015.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,—

(A) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(ca) "combine harvester" means an agricultural equipment vehicle, self propelled or agricultural tractor powered type (either coupled to the trailer for header assembly or any other attachment of the machine) designed to perform more than one of the following tasks namely:—

(i) picking, harvesting, threshing, separating, cleaning, chopping, collecting and unloading crop or agricultural produce, such as grain, sugarcane, cotton, fodder, straw or stalk, while moving through the standing crop or agricultural produce;

(ii) arrangement of bagging with a pick-up attachment to use it for handling crop that has been swathed.

Explanation.—For the purpose of this clause, a combine harvester shall be a non-transport motor vehicle, the driving on the road of which is incidental to the main intended use in the fields and for travelling from one field to another, for short durations, at a speed not exceeding thirty kilometre per hour;’;

(B) the existing clause (ca) shall be renumbered as clause (cab);

(C) after clause (w), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(x) “modular hydraulic trailer” means a trailer module intended for carrying indivisible heavy or over-dimensional cargo and having the following features, namely:—

(i) swing axles with hydraulic suspension;
(ii) independently steerable axles;
(iii) two or more axle rows;
(iv) suitable arrangement for joining such modules longitudinally or laterally or both;
(v) suitable provision for joining such separate modules with spacer beam arrangement or by bolster arrangement or by girder bridge arrangement or by loading deck arrangement;

(vi) suitable drawbar arrangement for being pulled or pushed or self propelled.

Explanation.—For the purpose of this clause, the expressions,—

(I) "spacer beam arrangement" shall mean the arrangement of rigid steel frame used for joining two separate modular hydraulic trailer units to form a single rigid chassis for movement of long cargo;

(II) "bolster arrangement" shall mean the arrangement of two separate units of modular hydraulic trailer mounted with turn tables and the cargo rests on the turn tables, whereby cargo structure itself acts as long member of trailer chassis;

(III) "girder bridge arrangement" shall mean the arrangement of two separate units of modular hydraulic trailers mounted with turn tables, and cargo is placed on a steel girder, which is then mounted on modular hydraulic trailer, whereby the steel girder acts as the long member of the trailer chassis;

(IV) "loading deck arrangement" shall mean the arrangement of two separate units of modular hydraulic trailers mounted with turn tables, and cargo is placed on a loading deck, which is then mounted on both modular hydraulic trailers, whereby the loading deck acts as the long member of the modular hydraulic trailer chassis;

(vii) fitted with suitable braking system.

(y) "puller tractor" means a multi-axle haulage tractor of Category N3 vehicle having-

(i) suitable arrangement to pull or push modular hydraulic trailer or combination thereof under drawbar arrangement;

(ii) adequate ballast weight for providing traction;

(iii) minimum engine power of 260 hp; and

(iv) maximum speed not exceeding twenty five kilometre per hour while pulling load;

3. In rule 47 of the principal rules,

(a) in sub-rule (1), after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:—

"(l) technical specifications and any other document as may be required by the registering authority in respect of the modular hydraulic trailer.";

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

(3) The modular hydraulic trailers registered under these rules shall ply in public place in laden condition subject to such other conditions as may be determined by the Central Government from time to time.".

4. In rule 50 of the principal rules,—

(a) in sub-rule(1), in clause (vi), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the size of registration plate for combine harvester shall be 340mm X 200 mm and exhibited at the front and at the rear of combine harvester and at the rear of trailer for header assembly used during transport:";

(ii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(7) The registration mark of the modular hydraulic trailer may not be exhibited on the puller tractor.".

5. In rule 51 of the principal rules, in the Table, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"10	Combine harvester	Front and rear letters and numerals	65	10	10
11	Trailer for header assembly of combine harvesters	Rear letters and numerals	65	10	10.".

6. In rule 88 of the principal rules,—

(a) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2A) No national permit shall be granted for a puller tractor which is more than fifteen years old at any point of time:

Provided that the national permit may be extended for another period of five years subject to certificate of fitness granted by the manufacturer or a chartered engineer, in case the manufacturer ceases to operate in India.";

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

'(4A) No national permit shall be granted in respect of a modular hydraulic trailer, which is more than twenty five years old at any point of time, the period of twenty five years being computed from the date of initial registration of the said modular hydraulic trailer:

Provided that the national permit may be extended for another period of five years subject to certificate of fitness granted by the manufacturer or a chartered engineer or approving authority, in case the manufacturer ceases to operate in India:

Provided further that the national permit shall be valid irrespective of the combination of modular hydraulic trailers subject to the condition that each individual modular hydraulic trailer is having valid national permit.

Explanation.—For the purposes of this section, "national permit" means a permit issued to ply the motor vehicle under this section, throughout the territory of India.'.

7. In rule 90 of the principal rules,—

(a) in sub-rule (1), for the words "The vehicle" the words "All motor vehicles other than a trailer or modular hydraulic trailer" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words "such vehicle", the words "such vehicles other than a trailer or modular hydraulic trailer for which the same shall appear on both sides of the vehicle " shall be substituted.

8. In rule 93 of the principal rules,—

(a) after sub-rule (1A), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(1B) The overall width of a combine harvester measured at right angles to the axis of the combine harvester between perpendicular planes enclosing the extreme points shall not exceed 3.3 meters while in the travel mode; and such combine harvesters shall be painted by yellow and black zebra stripes on the portion of the width that exceeds 2.6 meters on the front; and rear sides duly marked for night time driving and parking suitably by white or amber lamps at the front and red lamps at the rear:

Provided that the zebra stripes need not be used on attachments, if any.

(1C) The overall width of modular hydraulic trailer, measured at right angles to the axis of the modular hydraulic trailer between perpendicular planes enclosing the extreme points shall not exceed three metres.";

(b) in sub-rule (2), after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—

"(va) in the case of a puller tractor having three or more axles, ten meters;

(vb) in the case of a modular hydraulic trailer, any single module with maximum eight axle rows shall not exceed nineteen metres;";

(c) in sub-rule (3A),—

(A) for the words "The overall length of the construction equipment vehicle", the words "The overall length of the construction equipment vehicle and combine harvester" shall be substituted;

(B) after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that in case of combine harvester exclusively used for harvesting sugarcane, the overall length in travel shall not exceed 15 metres.";

(d) after sub-rule (3A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3B) The overall length of puller tractor and modular hydraulic trailer combination shall not exceed 29 metres:

Provided that movement of larger combinations with more than eight axle lines shall be subject to prior approval of the concerned authorities.";

(e) in sub-rule 4, after clause (iia), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iib) in the case of modular hydraulic trailer or combination of such modular hydraulic trailers, shall not exceed 4.75 metres;";

(f) in sub-rule (4A),—

(A) after the words "construction equipment vehicle", the words "or combine harvester" shall be inserted;

(B) in the proviso, after the words "construction equipment vehicle" the words "or combine harvester" shall be inserted;

(g) in sub-rule 5, after the words "tractor", the words "or puller tractors" shall be inserted;

(h) in sub-rule (6), for the words "tractor and construction equipment vehicle", the words "tractor, construction equipment vehicle and combine harvester" shall be substituted;

(i) in sub-rule (6A), after the words "construction equipment vehicle", the words "or combine harvester" shall be inserted;

(j) in sub-rule (6A), before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of a combine harvester exclusively used for harvesting sugarcane, the overhang shall not exceed 8.5 meters in rear while in travel mode.";

(B) in the Explanation, in the opening portion, after the words "construction equipment vehicle", the words "or combine harvester" shall be inserted;

(k) in sub-rule (7A), after the words "construction equipment vehicle", the words "or combine harvester" shall be inserted.

9. In rule 94 of the principal rules,—

(a) in the sub-rule (1), after the words "agricultural tractor and its trailer", the words ", and combine harvester and modular hydraulic trailers" shall be inserted;

(b) in the sub-rule (2), after the words "agricultural tractor and its trailer", the words ", and the combine harvester" shall be inserted.

10. In rule 95 of the principal rules, in the sub-rule (2A), after the words "construction equipment vehicle", the words "or a combine harvester" shall be inserted.

11. After rule 95B of the principal rules, the following rules shall be inserted, namely:—

"95C. Size and ply rating of tyres for modular hydraulic trailers. – (1) The tyres including radial tyres used on modular hydraulic trailers shall be in accordance with IS 15636: 2005 as amended from time to time.

(2) The tyre of modular hydraulic trailers shall have load carrying capacity as specified by the tyre manufacturer, however, the maximum load specified by the modular hydraulic trailers manufacturer shall not be greater than that permitted by the tyre manufacturer.

(3)The modular hydraulic trailer manufacturer shall select the recommended or preferred rim sizes only, as suggested by the tyre manufacturer and the wheel rims shall confirm to IS 9438:1980.

Note:— For compliance to this rule, any equivalent national or international standards such as Indian Standards (IS), Automotive Industry Standard (AIS), ECE (Economic Commission of Europe), Japan Automobile Tyre Manufacturers Association (JATMA), European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO), Tyre and Rim Association Inc. (TRA), Indian Tyre Technical Advisory Committee (ITT'AC), etc., may be referred.

95D. Limited road trials.—The Hydraulic Modular Trailer with specified Gross Vehicle Weight or maximum load carrying capacity shall be subjected to minimum hundred kilometers run preferably on plain roads with speed less than ten kilometres per hour.".

12. In rule 96 of the principal rules, in sub-rule (8), in the Table, after serial number five and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted at the end, namely:—

S. No.	Type of vehicle	Load	Test speed (The speed at which the brake should be applied) (km/h)	Type of brake	Stopping distance (m)
"6.	Puller Tractor	GVW	20	Foot operated service.	13.".

13. After rule 96D of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"96E. Brakes for combine harvester.—(1) The brake test shall be conducted in forwarded direction on dry hard road in good condition with the clutch disengage and cutter bar trailer with header assembly attached to reel of combine harvester.

(2) The service braking system of the unladen combine harvester shall be capable of bringing the vehicle to a halt within a specified stopping distance when brake is applied at the standard test speed as mentioned in the Table below:

TABLE

S.No.	Type of Combine	Load (Unloader)	Test Speed	Stopping Distance
1	Self Propelled Combine harvester	-	20 km/h or max speed whichever is less	10 meter
2	Tractor Powered Combine harvester	-	24 km/h or max speed whichever is less	10 meter

Maximum pedal force should not be more than 600 N.".

14. In rule 97 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words "Every trailer", the words "Every trailer including modular hydraulic trailer" shall be substituted.

15. After rule 98C of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"98D. Steering gears for combine harvester.—(1) The turning clearance circle diameter of combine harvester, coupled to the trailer for header assembly, if any, when measured as per IS: 11859-2004, as amended from time to time, shall not exceed 20 meters, without brake condition.

(2) The steering effort requirement of combine harvester shall conform to AIS : 042-2004, as amended from time to time, till such time the corresponding Bureau of Indian Standard is notified."

16. In rule 99 of the principal rules, for the words "construction equipment vehicle and agricultural tractor", the words "construction equipment vehicle, agricultural tractor and combine harvester" shall be substituted.

17. In rule 100 of the principal rules, after sub-rule (3A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3B) The glass of the front wind screen of a combine harvester shall be made of laminated safety glass.".

18. In rule 101 of the principal rules, in sub-rule (2A), for the words "All construction equipment vehicles", the words "All construction equipment vehicles and combine harvesters" shall be substituted.

19. In rule 102 of the principal rules, -

(a) in sub-rule (l) for the words "construction equipment vehicles. Every construction equipment vehicle shall", the words "construction equipment vehicles and the combined harvester, and such construction equipment vehicles and combine harvester" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), after the words "construction equipment vehicle", the words " and the combine harvester" shall be inserted;

(c) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) In the case of modular hydraulic trailer,—

(i) the intention to stop shall be indicated by two electrical stop lamps which shall be red in color and shall be fitted one each on left and right hand sides at the rear of the vehicle;

(ii) the stop lamps shall light up on the actuation of the service brake control of the puller tractor;

(iii) at least two direction indicators of amber colour shall be fitted, which are illuminated to indicate intention to turn by a light and the minimum illuminated area of each indicator shall be 60 sq.cm.".

20. In rule 103 of the principal rules, in sub-rule (1) and sub-rule (2), after the words "construction equipment vehicle", the words "and combine harvester" shall respectively be inserted.

21. In rule 104A of the principal rules,—

(a) for the marginal heading and the opening portion, the following marginal heading and opening portion shall be substituted, namely:—

"104A. Fitment of reflectors on construction equipment vehicles and combine harvesters.—

All construction equipment vehicles and combine harvesters shall be fitted with-" shall be substituted;

(b) after clause (i), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of combine harvester, the height of front white reflex-reflector shall not be more than 2100 mm above the ground in the case of unobstructed vision from the front and the implement or device shall not obstruct the visibility of the front reflex-reflectors to the oncoming vehicles;";

(c) after clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of combine harvester, the height shall not exceed 2100 mm above the ground;";

(d) in sub-clause (v), after the words "construction equipment vehicle", the words "and combine harvester" shall be inserted.

22. After rule 104C of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"104D. Fitment of retro-reflective tapes or reflectors and rear marking plate on modular hydraulic trailer.—(1) Every modular hydraulic trailer shall be fitted with two red reflective tapes having width not less than 50 mm at the rear and front and amber reflective tape having width not less than 50 mm on the sides, conforming to AIS: 090:2005, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Indian Standard specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

(2) Every modular hydraulic trailer shall be fitted with two red reflex reflectors having area not less than 28.5 sq. cm. and shall be fitted one each on left and right hand sides at the rear and front and amber reflex reflector having area not less than 28.5 sq. cm on the sides one set as close to the front end and the other set as close to the rear end as possible, conforming to AIS:057:2005, as amended from time to time till the corresponding Bureau of Indian Standard specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986(63 of 1986).

(3) Every Modular hydraulic trailer shall be fitted with rear marking plate confirming to AIS-089.".

23. In rule 105 of the principal rules.-

(a) in sub-rule (1), in clause (d), after the words "construction equipment vehicle" the words "and combine harvesters" shall be inserted;

(b) in sub-rule (2), in clause (ii), after the words "construction equipment" and "construction equipment vehicle", wherever they occur, the words "and combine harvester" shall respectively be inserted;

(c) after sub-rule (3A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3B) All the obligatory front head lamps of a combine harvester shall be as nearly as possible of the same power and fixed at a height so that front visibility is maintained and farthermost point of equipment or attachment is clearly seen by oncoming traffic.";

(d) after sub-rule (8A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(8B) Every combine harvester shall be fitted with two lamps at the rear throwing light to the rear when the vehicle is being driven in the reverse gear and there shall also be an audible warning system operating when the vehicle is being driven in the reverse gear so that the audible warning system and the light are automatically operated when the vehicle is in reverse gear.".

24. In rule 106 of the principal rules, in sub-rule (1), after the words "construction equipment vehicle", the words "and combine harvester" shall be inserted.

25. In rule 108A of the principal rules,—

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"108A. Use of red or white light on construction equipment vehicles and combine harvesters.-";

(b) in the opening portion, after the words "construction equipment vehicle", the words "and combine harvester" shall be inserted.

26. After rule 108A, the following rule shall be inserted, namely:—

"108B. Use of beacon or blinking lamp on puller tractor.—The puller tractor shall be fitted with two beacon or blinking lamps, which are amber in color, one each on left and right hand side on top of the cabin.".

27. In rule 109 of the principal rules, -

(i) in the opening portion, for the words "Every construction equipment vehicle and every motor vehicle", the words "Every construction equipment vehicle, combine harvester and motor vehicle" shall be substituted;

(ii) in the second proviso, after the words "construction equipment vehicles", the words "and combine harvesters" shall be inserted.

28. In rule 112 of the principal rules, in the fifth proviso, after the words "construction equipment vehicle", the words "and combine harvester" shall be inserted.

29. In rule 113 of the principal rules, after the words "construction equipment vehicle", the words "and combine harvester" shall be inserted.

30. In rule 115A of the principal rules,—

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"115A. Emission of smoke and vapour from agricultural tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters driven by diesel engines.-";

(b) in sub-rule (1) and sub rule (2), for the words "agricultural tractors and construction equipment vehicles" at both the places where they occur, the words "agricultural tractors, construction equipment vehicles and combine harvesters" shall be substituted;

(c) in sub-rule (6),—

(i) in the opening portion, after the words "construction equipment vehicle", the words "and self propelled combine harvester" shall be inserted;

(ii) in the Table, in the Notes, after paragraph 8, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"9. Bharat Stage III (CEV) norms shall be applicable to self propelled combine harvester on and from the commencement of the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2015.";

(d) in sub-rule (7), for the words "agricultural tractor", the words "agricultural tractor and agricultural tractor-operated combine harvester" shall be substituted.

31. In rule 117 of the principal rules, in sub rule (1), in the first proviso, after the words "agricultural tractor", the words "and combine harvester" shall be inserted.

32. In rule 119 of the principal rules,—

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) Every combine harvester shall be fitted with an electric horn or other devices confirming to the requirements of IS 1884 : 1993 specified by the Bureau of Indian Standards for use by the driver of the vehicle and capable of giving audible and sufficient warning of the approach or position of the vehicle:

Provided that the horn installation requirement for combine harvester shall be as per IS 15796:2008 specification as amended from time to time.";

(b) in sub-rule (2), after the words "motor vehicle including agricultural tractor", the words "and combine harvester" shall be inserted.

33. In rule 120 of the principal rules,—

(a) in sub-rule (1), after the words "agricultural tractor", the words "and combine harvester" shall be inserted;

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(5) In the case of combine harvester, the noise level at operator's ear level shall be measured as per Annex B of IS 12180 (Part-1): 2000, whereas the noise level at bystander's position shall be measured as per IS 12180 (Part-2): 2000:

Provided that the noise level shall not exceed 98 dB (A) at operator's ear level and 88 dB (A) at bystander position.".

34. In rule 121 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words "agricultural tractor and construction equipment vehicle", the words "agricultural tractor, construction equipment vehicle and combine harvester" shall be substituted.

35. In rule 122 of the principal rules,—

(a) in sub-rule (1A), for the words "agricultural tractor and construction equipment vehicle" at the both places where they occur, the words "agricultural tractor, construction equipment vehicle, hydraulic modular trailer and combine harvester" shall be substituted;

(b) after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1B) Every combine harvester and hydraulic modular trailer shall bear the identification number plate including the following information embossed or etched or punched on it:

i)	Name of manufacturer	:……..
ii)	Model name	:……..
iii)	Chassis number	:……..
iv)	Engine/Tractor make & model	:……..
v)	Engine Sl. No. (in case of Self propelled combine)	:……..
vi)	Month & year of manufacture	:……..".

36. In rule 124 of the principal rules,—

(i) after sub-rule (1A), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

'(1B) There shall not be any requirement regarding fitment of rear under run protection device and lateral protection device in modular hydraulic trailers.

(1C) "T" signs, wherever used on modular hydraulic trailers, shall comply with IS : 9942 : 1981.'.

37. In rule 124A of the principal rules,—

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"124A. Safety standards of components for agricultural tractors and combine harvesters.-";

(b) in sub-rule (1), after the words "agricultural tractors", the words "and combine harvesters" shall be inserted;

(c) in sub-rule (2), after the words "agricultural tractor" and "agricultural tractors", wherever they occur, the words "and combine harvesters" shall be inserted;

(d) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in case of combine harvesters, if the shape of body work makes it impossible to comply with the height requirement of installation of the following lighting and light-signaling devices, it shall be allowed at a height not exceeding 3000 mm:

(i) Dipped-beam headlamp (Ref. clause 6.2.4.2)*
(ii) Front direction indicator lamp (Ref. clause 6.5.4.2.3)*
(iii) Front position lamp (Ref. clause 6.9.4.2)*
(iv) Front parking lamp (Ref. clause 6.12.4.2)*

*Note :Reference clause numbers of AIS-030:2001:

Provided also that the performance requirements of the lighting, light signaling and indicating systems of combine harvester shall be in accordance with safety standards AIS:062-2004, as amended from time to time, till such time as the corresponding Bureau of Indian Standards are notified:

Provided also that the performance of rear warning triangle fitted on combine harvester shall be in accordance with AIS:088-2005, except clause 1.4.3 of Annexure 6 therein, as amended from time to time, till such time the corresponding Bureau of Indian Standards are notified.";

(e) In sub-rules (3), (4), (5) and (7), after the words "agricultural tractor", wherever they occur, the words "and combine harvester" shall be inserted.

38. In rule 125A of the principal rules.—

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"125A. Safety belt, etc., for construction equipment vehicles and combine harvesters.-";

(b) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that every combine harvester fitted with a cabin, shall be equipped with a seat belt for the driver and with a rear view mirror.".

39. In rule 126 of the principal rules, for the words "other than trailers and semi-trailers", the words "including trailers, semi-trailers and modular hydraulic trailer" shall be substituted.

40. In rule 126B of the principal rules,—

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"126B. Prototype of every construction equipment vehicle and combine harvester to be subject to test.-";

(b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
"(1A) On and from the date of commencement of Central Motor Vehicle (Fourth Amendment) Rules, 2015, every manufacturer of combine harvester shall submit the prototype of the combine harvester to be manufactured by him for test by any of the agencies referred to in rule 126 for granting a certificate by that agency as to the compliance of the provisions of the Act and these rules.";

(c) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2A) The testing agencies referred to in rule 126 shall, in accordance with the procedure laid down by the Central Government, conduct tests on combine harvesters drawn from the production line of the manufacturer to verify whether the combine harvesters conform to the provisions of the Act, or rules, or orders issued there under:

Provided that the provisions of this sub-rule shall not be applicable in respect of any combine harvester up to and including the 1st day of April, 2015.".

[F. No. RT-11042/13/2008-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 168(E), dated 3rd March, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.